

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता (राज.)

क्रमांक: 164 स्था.

दिनांक: 17 अगस्त, 2026

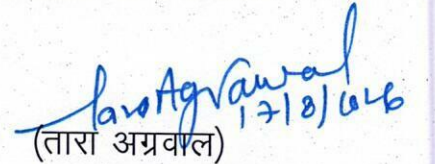
—: कार्यालय आदेश :—

मेड़ता न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित आशुलिपिक ग्रेड-II जो राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापना नियम, 1986 (यथा संशोधित) के तहत आशुलिपिक ग्रेड-I के पद के लिये विहित अर्हता रखते हैं, को उक्त नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति समिति की अनुशंसा के अनुसार तुरन्त प्रभाव से अस्थायी रूप से आशुलिपिक ग्रेड-I के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल-12 (पूर्व वेतनमान में ग्रेड पे-4800/-) के अन्तर्गत नियमानुसार देय वेतन-भत्तों पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	संवर्ग	वर्तमान पदस्थापित न्यायालय का नाम
01	सुश्री मोनिका आशुलिपिक ग्रेड-II	सामान्य	न्या. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर
02	सुश्री कान्ता सांखला आशुलिपिक ग्रेड-II	सामान्य	न्या.अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर

नोट:-

- 01 यदि उपरोक्त कर्मचारियों का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उनकी पदोन्नति निरस्त कर उन्हें मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
- 02 उपर्युक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में किया जावे।
- 03 कर्मचारी को पदोन्नति के तहत यदि कोई वित्तीय लाभ देय होता है, तो उसका भुगतान पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
- 04 उपरोक्त कर्मचारीगण की वरीयता उपर्युक्तानुसार रहेगी।
- 05 उपरोक्त कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।


(तारा अग्रवाल)

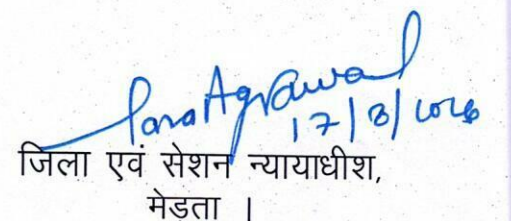
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता।

क्रमांक: 2999-1007 स्था.

दिनांक: 17 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर.
02. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर.
03. सुश्री मोनिका/सुश्री कान्ता सांखला द्वारा संबंधित न्यायालय.
04. व्यक्तिगत पत्रावली संबंधित कर्मचारी।
05. रक्षित पत्रावली।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता।